फा.सं.ई-30020/7/2018-डीओआर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

दिनांक 12 फरवरी, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- राजस्व विभाग (मुख्यालय) एवं सीबीडीटी तथा सीबीआईसी के अधीनस्थ कार्यालयों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक से अधिक सरकारी कामकाज से जुड़ा पत्राचार हिंदी में करने के संबंध में ।

हाल में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षणों के दौरान समिति के माननीय सदस्यों द्वारा सभी प्रभारी अधिकारियों के संज्ञान में यह तथ्य लाने का निर्देश दिया गया है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों से पत्राचार लगातार अंग्रेजी में किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार इन पत्रों को केवल हिंदी अथवा द्विभाषी में भेजा जाना चाहिए। अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय से सभी प्रकार का पत्राचार अनिवार्यतः केवल हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में ही किया जाए। इसके साथ ही, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भी यह निर्देश दें कि वे सरकारी कामकाज का पत्राचार अधिक से अधिक हिंदी में ही किया करें ताकि हिंदी पत्राचार के अपेक्षित लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रीति सेलारे

(प्रीति सेलारे)
उपनिदेशक (राजभाषा)
दूरभाष संख्या 011-24012578

सेवा में,

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के अवर सचिव/ अनुभाग अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी ।
2. राजस्व विभाग (मुख्यालय) के सभी अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी।
3. संयुक्त सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव (सूचनार्थ) ।
4. गार्ड फाइल।